नईदुनिया
नई सोच, नया अंदाज
रायपुर
शनिवार, 3 फरवरी 2018

सौगात आवेदक रविवि में फॉर्म भरकर 12 फरवरी तक कर सकते हैं जमा

अक्षय ऊर्जा विभाग को मिली 4 ट्रेनिंग कोर्स की स्वीकृति

रायपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

पं. रविशंकर शुक्ल विवि के अक्षय उर्जा प्रौद्योगिकी व प्रबंधन केंद्र को एआईसीटीई के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 4 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आवंटन हुआ है। हर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकतम 25 सीट निर्धारित है। विभाग के सहायक प्रोफेसर गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि राज्य के विवि में रविवि को पहले मिला है। इससे सोलर पीवी स्टांलर (सूर्य मित्र), सोलर पीवी स्टांलर (विद्युत) सोलर पीवी, स्टांलर (सिविल) एवं असिस्टेंट इलेक्ट्रिक सिटी मीटर रीडिंग, विलिंग एवं कैश कलेक्शन पर प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत दिया जाएगा।

स्थानीय युवाओं को रोजगार

यह प्रशिक्षण क्रमश 300, 200, 180 और 200 घंटों का है। ज्ञात हो विगत वर्षो में विभाग इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार आयोजित करता आ रहा है। भारत सरकार ने 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को 175 मेगावाट करने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें सर्वाधिक नौकरी के अवसर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में होंगे। इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रशिक्षु व छात्रों को विशेष तरह की प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसे कार्यक्रमों से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं।

54 प्रतिशत अप्रशिक्षित हैं

वर्तमान में देश में डिमांड सप्लाई बढ़ते अंतर की वजह से परेशानियों से जूझ रहा है। सर्वे के अनुसार आज भी 25 वर्ष की आयु तक के लगभग 54 प्रतिशत अप्रशिक्षित है। इनके लिए अवसर तो उपलब्ध है, परंतु कार्य करने की शैली बेहतर न होने की वजह से बेरोजगार हैं। इसी के अंतर को कम करने के लिए एआईसीटीई के अंतर्गत उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विभाग में किया जाता है।

प्रशिक्षुओं को कराना होगा पंजीयन

इसमें शामिल हो रहे प्रशिक्षुओं को पंजीयन कराना होगा। पंजीयन और प्रशिक्षण शुल्क मुफ्त है। वहीं आवेदक विवि की बेवसाइट से आवेदन फॉर्म भरकर विभाग में 12 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। वहीं प्रशिक्षण के अंत में स्कील कांउसिल प्रशिक्षुओं का असेसमेंट कर उन्हे प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

यह है प्रशिक्षण कोर्स

- सोलर पीवी स्टांलर (सूर्य मित्र)
- सोलर पीवी स्टांलर (विद्युत)
- सोलर पीवी, स्टांलर (सिविल)
- असिस्टेंट इलेक्ट्रिक सिटी मीटर रीडिग एवं विलिंग एवं कैश कलैक्शन।